मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)
खण्ड–2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्र. 6350 / 22 / वि–12 / ग्रासप्रा / संधारण /16 भोपाल दिनांक 27 / 03 / 18

प्रति,

महाप्रबंधक (समस्त),
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई,
...............(म.प्र.)

विषय :– ई–मार्ग से राज्य संपर्कता (स्टेट कनेक्टिविटी) एवं मंडी राषि से निर्मित मार्गो पर संधारण कार्यो के भुगतान के संबंध में।

–0–

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित कोर नेटवर्क मार्गो को ई – मार्ग के अंतर्गत सम्मिलित किया जा चुका है। परन्तु ऐसे मार्ग जो कोर नेटवर्क में सम्मिलित नही हैं, उन्हें ई–मार्ग से पृथक रखा गया है। ऐसे मार्गो को ई–मार्ग में सम्मिलित करने के लिए मुख्यालय में जानकारी संकलित की जानी है। इस हेतु प्रपत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। प्रपत्र निम्न निर्देशों के अनुसार भरकर gmt5mprrda@rediffmail.com पर प्रेषित करें–

1. प्रपत्र में Road ID के लिए निर्धारित कॉलम में कोड अंकित करें। प्रत्येक विकासखण्ड में स्टेट कनेक्टिविटी के तहत निर्मित मार्गों के लिए L 301 से L 400 कोड़ तथा मंडी निधि के निर्मित मार्गों के लिए L 401 से L 500 कोड़ अंकित करें। **स्टेट कनेक्टिविटी अथवा स्टेट मंडी राषि से यदि कोरनेटवर्क में पहले से सम्मिलित कोई मार्ग स्वीकृत किया गया है तो उसका Existing road code** के कॉलम में उल्लेख करें तथा **Road ID के** कॉलम **में भी परिवर्तित कर इन निर्देशों के अनुसार पुनः अंकित किया जाएगा।**
2. मार्गों की लंबाई कि.मी. में दशमलव के बाद 5 अंक तक अंकित करें।
3. रोड़ में BT एवं CC pavment के लिए चैनेज मी. में अंकित किये जाए।
4. Target habitation के नाम के साथ वर्ष 2001 जनगणना के अनुसार जनसंख्या भी अंकित करें।
5. Road curve के लिए निर्धारित कॉलम में निर्माण स्वीकृति के समय DPR में उल्लेखित ट्रैफिक curve अंकित करें। Traffic category, T_1 से T_4 हेतु के B तथा T_5 से अधिक के लिए C अंकित करें।

उपरोक्त उल्लेखित निर्देशों का पालन करते हुए जानकारी 31 / 03 / 2018 तक आवश्यक रूप से प्रेषित करें।

(एम.के.गुप्ता)
प्रमुख अभियंता
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,भोपाल

क्र. / 22 / वि–12 / ग्रासप्रा / संधारण /18 भोपाल दिनांक / 03 / 18

प्रतिलिपि–

- मुख्य महाप्रबंधक (समस्त), म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, ... (म.प्र.)
- वरिष्ठ तकनीकी निर्देशक, एन.आई.सी., विंध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)

– की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रमुख अभियंता
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,भोपाल